उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,

पी.एम.यू. (पी.एम.जी.एस.वाई)

संख्या: 392 / व.ग्रा.वि. / पी.एम.जी.एस.वाई / देहरादून: दिनांक 28 अगस्त, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के प्रस्तावित कार्यों की विशाल मात्रा के पूर्व में इस हेतु चयनित प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन ऐजेन्सी, लोक निर्माण विभाग की क्षमता से बाहर होने के कारण शासन द्वारा वर्ष (2001–02) के प्रस्तावित कार्यों को अन्य निजी क्षेत्र की कन्सलटेन्ट / जी कम्पनी (प्रोग्राम इम्पलीमेन्टेशन ऐजेन्सी) के माध्यम से करवाये जाने का उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया था. जिसके क्रम में राष्ट्रीय ओपन बिडिंग द्वारा आमंत्रित कम्पनियों में से उत्कृष्ट कम्पनी मै0 मैगोटेक प्रा0 लि0 की सब्सीडरी "**उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट**" 75 राजपुर रोड देहरादून का चयन शासन द्वारा किया गया है. उक्त कम्पनी द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु वे सभी कार्य सम्पन्न किये जायेंगे जिन्हें पूर्व ऐजेन्सी लो.नि.वि. द्वारा किया जाता था.

2. उपरोक्त नवीन व्यवस्था के कारण योजना के नियोजन, परियोजना स्वीकृति, कार्य प्रबन्धन, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, भुगतान, अनुश्रवण, समन्वयन आदि के सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का स्पष्टीकरण एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता है.

2.1 नियोजन :

(क) मास्टर प्लान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त बिना जुड़े ग्रामों को सर्व मौसमी मार्गों के द्वारा एकल सन्योजनता (Single Connectivity) वर्ष 2007 तक प्रदान की जायेगी. पर्वतीय क्षेत्र हेतु यह सीमा 500 के स्थान पर 250 होगी। उक्त उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये एक जनपदवार महायोजना (Master Plan) तैयार की जायेगी जिसमें के अन्य डाटा के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार प्रस्तावित मार्गों की क्रमबद्धता में एक सूची संलग्न होगी. जिसमें अधिकतम जनसंख्या के बिना जुड़े ग्रामों के जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित मार्ग उच्चतम प्राथमिकता पर रहेगा।

यह मास्टर प्लान उपरोक्त अंकित (पी.आई.ए.) उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्टस देहरादून के जनपद अभियंताओं द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जिनके द्वारा क्षेत्र पंचायत तथा जिला पचायत की विशेष बैठक बुलवाकर उपरोक्त मास्टर प्लान का अनुमोदन दोनों स्तरों पर करवाने के पश्चात शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(ख) **वार्षिक परियोजना** :-

उपरोक्त पी.आई.ए. "उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्टस देहरादून" की जनपद इकाईयों द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु जनपदवार एक परियोजना मास्टर प्लान में निर्धारित प्राथमिकता सूची के आधार पर ऐसी राशि हेतु तैयार की जायेगी जो कि भारत सरकार द्वारा निश्चित की जायेगी. इस परियोजना का अनुमोदन भी मास्टर प्लान के अनुमोदन के समान क्षेत्र पंचायत एवं जिला पचायत से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विशेष रूप से आयोजित बैठकों में करवाये जाने के पश्चात शासन को प्रेषित किया जायेगा. माननीय सांसदों एवं माननीय विधायकों को उक्त बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा तथा उनके द्वारा प्रस्तावित मार्गों को सदनों में अवश्य विचारित किया जायेगा. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में भी आदेश जारी किये जा चुके हैं.

2.2 **वार्षिक परियोजना/प्रस्ताव की स्वीकृति** :

मुख्य विकास अधिकारियों से प्राप्त हुई वार्षिक परियोजना के प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व के गठित "स्टेट लेवल स्टेंडिंग कमेटी" के अनुमोदन पश्चात भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा. जिनकी स्वीकृति के पश्चात विभिन्न मार्गों के विस्तृत आंगणन एवं पैकेज तैयार किये जाने का कार्य पी.आई.ए. द्वारा आरम्भ किया जायेगा.

2.3 **सर्वेक्षण, विस्तृत-आंगणन एवं पैकेज** :

स्वीकृत मार्गों के सर्वेक्षण एवं विस्तृत आंगणन पी.आई.ए. की जनपद इकाईयों द्वारा तैयार कर पी0आई0ए0 के केन्द्रीय कार्यालय के माध्यम से स्टेट टेक्निकल ऐजेन्सी (आई.आई.टी. रूड़की) को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे.

2.4 **निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध प्रक्रिया** :

आई.आई.टी. से परिक्षित पैकेजों के अनुसार पी.आई.ए. द्वारा लो.नि.वि. एवं अन्य विभागों के रजिस्टर्ड उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों से बिड आमंत्रित किये जाने के आशय से समाचार पत्रों हेतु आवश्यक सूचना तैयार कर शासन से जारी करवायी जायेगी. बिड डाकूमेन्ट की ठेकेदारों को बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाये जाने हेतु बिक्री स्टेट बैंक की शाखा द्वारा करवायी जायेगी। बिड्स दो भागों में प्राप्त की जायेगी. तकनीकी बिड्स में योग्य पाये गये

ठेकेदार की फाइनेंसियल बिड खोली जायेगी। बिड्स खोलने हेतु योजना के नोडल अधिकारी के अतिरिक्त पी.आई.ए. का एक प्रतिनिधि नामित किया जायेगा. बिड्स प्राप्त होने के पश्चात उनका निस्तारण पी.आई.ए. की तकनीकी संस्तुति पर शासन स्तर पर तकनीकी परीक्षण उपरान्त शासन द्वारा किया जायेगा। तदोपरान्त शासन द्वारा अनुमोदित निविदा के अनुसार पी.आई.ए. द्वारा अनुबन्ध तैयार कर ठेकेदार तथा शासन के हस्ताक्षरार्थ शासन को प्रस्तुत किये जायेंगे. ठेकेदार को निविदा स्वीकृति एवं अन्य सूचना पत्र पी.आई.ए. द्वारा समय से शासन को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें शासन द्वारा जारी किया जायेगा।

2.5 **निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन, प्रवेक्षण : गुणवत्ता नियन्त्रण, भुगतान :**

कार्यों का ठेकेदारों से अनुबन्ध होने के पश्चात पी.आई.ए. द्वारा स्थल पर मार्ग का संरेखण अंकित करवाये जाने तथा स्थल को ठेकेदारों को सौंपे जाने का दायित्व पी.आई.ए. की जनपद इकाई का होगा. मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि, व्यक्तिगत भूमि के स्थानान्तरण प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार कर उस पर विभिन्न शासकीय विभागों से संस्तुति प्राप्त कर शासन को स्वीकृति हेतु भिजवाने एवं उसके लिये भुगतान करवाने का उत्तरदायित्व भी पी.आई.ए. का होगा. ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ करने के पश्चात निर्माण से किसी प्रकार की क्षति हेतु प्रतिकर तैयार कर उसके भुगतान सत्यापन एवं भुगतान का दायित्व भी पी.आई.ए. का होगा। निर्माण के प्रारम्भ से अन्त तक पी.आई.ए. स्तर पर कार्यों को पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य सुचारू रूप से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों एवं सामग्रियों हेतु निर्धारित टैस्ट समुचित संख्या में किये जायें। कार्यों के अन्तरिम एवं अंतिम भुगतान हेतु आवश्यक मापांकन एवं देयक पारित किये जाने हेतु अन्य समस्त प्रक्रिया पी.आई.ए. की जनपद इकाई द्वारा पूर्ण करने के पश्चात पी.आई.ए. के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपनी संस्तुति सहित देयक भुगतान हेतु शासन को प्रस्तुत किया जायेगा. पी.आई.ए. द्वारा प्रस्तुत देयक का लेखा परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण, आवश्यक होने पर स्थल सत्यापन उपरान्त उसका भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। कार्यों की गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य योजना की गाइड लाईन के अनुसार तीन स्तरों पर किया जायेगा पी.आई.ए. द्वारा निरन्तर गुणवत्ता नियन्त्रण के अतिरिक्त सभी मार्ग कार्यों का राज्य स्तर पर पी0एम0यू0 के तकनीकी परीक्षक (टी0ए0सी0) के द्वारा स्थल जांच एवं सत्यापन कार्य न्यूनतम एक बार किया जायेगा. इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी परीक्षक द्वारा भी कार्यों का स्थल परीक्षण आख्याएं योजना की वैबसाईट पर उपलब्ध की जायेंगी।

2.6 अनुश्रवण एवं प्रबन्धन :

(क) जनपद स्तर पर :

कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का पाक्षिक अनुश्रवण जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद समीक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा. वर्ष (2000–01) के चालू कार्य जो कि लो.नि.वि. के माध्यम से सम्पन्न किये जा रहे हैं, के पी0आई0यू0 वृत्तों अधीक्षण अभियंता नामित किये गये हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आयोजित बैठकों में अधीक्षण अभियंता तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियंता अवश्यक रूप से उपस्थित होकर कार्यों की प्रगति सूचित करेंगे। इसी प्रकार वर्ष (2001–02) को स्वीकृत कार्यों जो कि निजी प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन एजेंसी उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देहरादून (मै0 मैगोटेक प्राईवेट लि0) के माध्यम से करवाये जा रहे हैं, के जनपद अभियंता प्रभारी निरन्तर कार्यों के प्रगति एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं जैसे मार्गों को संरेखण विवाद, वन भूमि, व्यक्तिगत भूमि के स्थानान्तरण की कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में निरन्तर मुख्य विकास अधिकारी के संसर्ग में रहेंगे तथा उनके सहयोग से निर्माण कार्यों को गति देने का प्रयास करेंगे मुख्य विकास अधिकारी योजना के संचालन में आने वाली बाधाओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से दूर करेंगे वन भूमि को निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करवाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स जिसमें मुख्य विकास अधिकारी के साथ–साथ जिले के उप वन संरक्षक तथा पी0आई0ए0 के जनपद प्रभारी अभियंता सदस्य होंगे, के द्वारा वन भूमि स्थानान्तरण की कार्यवाही त्वरित गति से सम्पन्न करवायी जाएगी तथा वन भूमि प्रकरणों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा. योजना हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक "आन लाईन मानिटरिंग सिस्टम" की व्यवस्था की है जिसके अनुसार प्रत्येक जनपद में योजना हेतु स्थापित कम्प्यूटर से योजना के वैबसाईट पर योजना से सम्बन्धित मास्टर एवं अन्य डाटा अपलोड किये जायेंगे। कम्प्यूटर्स का सम्बद्धीकरण (connectivity) राज्य में स्थापित सर्वरस एवं राष्ट्रीय सर्वर पार्क से होगा। जनपद स्तर पर इन कम्प्यूटर की स्थापना मुख्य विकास अधिकारियों के कार्यालय में की जाएगी तथा इसका डाटा फिडिंग एवं अपडेटिंग का कार्य पी0आई0ए0 उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देहरादून द्वारा तैनात किए जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा. इस प्रकार योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं एव प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी की निकट दृष्टि रहेगी तथा उनके द्वारा

समीक्षा हेतु सुविधा होगी. योजना की वैबसाईट के दो भाग होंगे, एक "राजकीय" तथा दूसरा "जनता हेतु" भाग को खोलने पर कोई भी व्यक्ति समस्त सूचनाएं एवं प्रगति देख सकता है तथा एक फीड बैक अंकित कर सकेगा. राजकीय खण्ड में केवल नामित व्यक्तियों द्वारा सूचनाओं का अपडेटिंग किया जा सकेगा। राज्य स्तर पर एक केन्द्र स्तर पर कार्यों के तकनीकी परीक्षण की आख्या सम्बन्धित परीक्षकों द्वारा वैबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था उक्त सिस्टम में होगी।

कम्पयूटर–ऑपरेटर द्वारा सूचनाओं का राज्य स्तर पर अपलोडिंग, विवेचना तथा आवश्यकतानुसार हार्डकापी उपलब्ध करवाये जाने का कार्य किया जायेगा।

3. राज्यस्तरीय पी.एम.यू. का सुदृढ़ीकरण एवं गठन :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु वर्तमान में प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में एक पी0एम0यू0 कार्यरत है। जिसमें सचिव ग्राम्य विकास, सचिव सदस्य एवं अपर सचिव ग्राम्य विकास सदस्य के अतिरिक्त तकनीकी सदस्य के रूप में तकनीकी सम्प्रेक्षक (टी0ए0सी0) वन एवं ग्राम्य विकास शाखा कार्यरत हैं। तकनीकी सदस्य, को योजना का नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा योजना का अनुश्रवण एवं पी0एम0यू0 को शासन स्तर पर तकनकी परामर्श एवं कार्यों की गुणवत्ता की जांच का दायित्व योजना के नोडल अधिकारी को सौंपा गया है. योजना के वर्ष (2001–02) के मार्ग निर्माण का कार्य लो0नि0वि0 से लेकर निजी क्षेत्र की कन्सल्टैंट एजेन्सी को सौंपे जाने के फलस्वरूप पी0एम0यू0 के तकनीकी प्रभाग में अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है तकनीकी प्रभाग के बढ़े हुए कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए पी0एम0यू0 के तकनीकी प्रभाग को तत्काल सुदृढ़ (Strengthened) एवं उच्चीकृत (upgraded) किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए निम्नलिखित अनुसार तैनातियां/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जाये.

1. तकनीकी परीक्षक (टी.ए.सी.)
   अधिशासी अभियंता स्तर – नोडल अधिकारी योजना–एक
   (वेतनमान रू 10,000.00–15,200.00)

2. तकनीकी सहायक — एक
अवर अभियंता (प्राविधिक)
(वेतनमान रू 5000–8000)
3. लेखाकार — एक
(महालेखाकार–संवर्ग)
(वेतनमान रू 6500–10500)
4. वरिष्ठ डाटाइन्टरी आपरेटर — एक
(डिग्रीधारी) (वेतनमान रू 5000–8000)
5. कार्यालय सहायक एवं लेखा सहायक — दो
(वेतनमान रू 4500–7000)
6. अनुसेवक — दो
(वेतनमान रू 2550–3200)
7. चालक — एक
(वेतनमान रू 3050–4590)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लम्बी अवधि तक चलने की प्रत्याशा में आवश्यक होगा कि उपरोक्त पदों को ग्राम्य विकास विभाग की संरचना में सम्मिलित किया जाये। वर्तमान में अस्थाई व्यवस्था के रूप में उपरोक्त पदों को पूर्ववत्त लो.नि.वि. से प्रति–नियुक्ति पर लिया जायेगा। वर्तमान में केवल न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर उपरोक्तानुसार तैनाती की जायेगी। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

4. <u>योजना हेतु धन व्यवस्था (Funding)</u> :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वास्तविक निर्माण कार्यों हेतु समस्त धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी जबकि मार्गों हेतु आवश्यक भूमि, प्रतिकर सर्वेक्षण, एवं कन्टीजेंसी हेतु धनराशि की व्यवस्था हेतु राज्य द्वारा किये जाने के निर्देश है उत्तरांचल में चूंकि राज्य के पास सक्षम प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन एजेन्सी न होने के कारण निजी क्षेत्र की पी0आई0ए0 को अनुबन्ध पर तैनात किया गया है, अतः पी0आई0ए0 एवं योजना हेतु गठित पी0एम0यू0 के व्यय का वहन योजना को धनराशि पर अर्जित ब्याज से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त योजना धनराशि तथा अर्जित ब्याज के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य

सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा भारत सरकार से निर्माण कार्य हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल.
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्राम्य विकास उत्तरांचल.
3. निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, उत्तरांचल.
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल.
5. समस्त माननीय विधायक, उत्तरांचल.
6. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल.
7. सचिव, लो.नि.वि./नियोजन/वित्त/सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल शासन
8. श्री सुनील कुमार, निदेशक (पी0एम0जी0एस0वाई0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. मंडलायुक्त कुमांऊ नैनीताल/गढ़वाल पौड़ी
10. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून.
11. अपर सचिव ग्रा0वि0 उत्तरांचल शासन.
12. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल.
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल.
14. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून
15. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 कुमांऊ, अल्मोड़ा/गढ़वाल पौड़ी
16. समस्त पी0आई0यू0 अधीक्षण अभियंता लो.नि.वि., उत्तरांचल
17. एम.डी./पी.डी. उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्टस (मैगाटेक प्रा0लि0)
18. समस्त जनपद अभियन्ता प्रभारी उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट.
19. विशेष कार्याधिकारी ग्रा0वि0 उत्तरांचल शासन.
20. नोडल अधिकारी (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तरांचल शासन.
21. समस्त सम्बन्धित ठेकेदार, (पी0एम0जी0एस0वाई0).

(संजीव चोपड़ा)
सचिव, ग्राम्य विकास